अध्याय-8

भूमि का सीमांकन और कब्जा देना

पट्टा अथवा लाइसेंस विलेख संबंधी करार निष्पादित होने के उपरांत संबद्ध पट्टा अनुभाग तकनीकी अनुभाग को फाइल भेजेगा और जिसमें वह यह अनुरोध करेगा कि वह आबंटी को भूमि का कब्जा दे। प्रभारी सहायक अभियंता विक्रेता से परामर्श करके इस प्रयोजनार्थ एक तिथि निर्धारित करेगा।

विहित तारीख को संबद्ध सहायक अभियन्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त कोई पर्यवेक्षक प्रश्नगत भूखंड को विक्रेता अथवा उसके अनुमोदित नामिती की उपस्थिति में सीमांकन करेगा और उससे एक प्रमाण पत्र लेगा कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर दिया गया है और उस रिक्त भूमि का कब्जा उसे उस तारीख को दे दिया गया है।

विक्रेता अथवा उसके नामिती से प्राप्त प्रमाण पत्र को फाइल के पत्राचार भाग के साथ लगाया जाएगा। संबद्ध सहायक अभियन्ता फाइल पर यह रिकॉर्ड करेगा कि अमुख व्यक्ति को अमुख तारीख को भूखंड का कब्जा दे दिया गया है और तत्पश्चात संबद्ध पट्टा अनुभाग को फाइल लौटा देगा।

तत्पश्चात पट्टा अनुभाग अनुबंध में दिए गए प्रपत्र में पट्टाधारी को एक पत्र भेजेगा जिसमें उससे पट्टा के लिए करार में निर्धारित तारीख तक पट्टे के अंतर्गत अनुमति हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित निर्माण प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।